न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–336/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00239)

01. जगवीर पुत्र बीरबल, जाति जाट, निवासी ग्राम तोलासेही, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. नायब तहसीलदार सूरजगढ वास्ते सरकार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. सांवरमल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम तोलासेही, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 02.12.2019 (प्रकरण संख्या 50/2019) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि गत खसरा नम्बर 149 एवं हाल खसरा नम्बर 229 सेटलमेन्ट विभाग ने नक्शा सर्वेशीट ही गलत बनाते हुये रास्ते का अंकन गलत दर्ज किया है फिर भी अपीलार्थी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में बेदखल करने की आज्ञा पारित की गई है, जो सरासर कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नही दिया कि दिनांक 31.05.2019 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 229 का जो सीमाज्ञान पटवारी हल्का ने किया था उस रिपोर्ट में पटवारी ने अपीलान्ट को विवादित भूमि पर कतई कोई अतिक्रमण नही बताया था, यही नही पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बाद जब अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के समक्ष स्वयं की खातेदारी की भूमियों के बाबत दिनांक 15.07.2019 को धारा 111 एवं धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सीमांकन व पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2019 के द्वारा तहसील सूरजगढ़ को विवादग्रस्त भूमी की पत्थरगढ़ी व सीमांकन के आदेश पारित किया था किन्तु उक्त आदेश की आज दिनांक तक कतई कोई पालना तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा नही की गई है तथा केवल मात्र अपीलान्ट के मकानात आदि तोड़ने के उदेश्य से जो बेदखली का आदेश नायब तहसीलदार सूरजगढ़ ने दिनांक 09.08.2019 को पारित किया है, वह पूर्णत्या न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के एवं कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण की वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 229 व 261 के मध्य रास्ते की भूमि पर सुरेश कुमार पुत्र हरिराम ने कब्जा कर रखा है तथा अपीलान्ट ने उक्त सुरेश कुमार के विरूद्ध शिकायत भी दे दी थी किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार ने वास्तविक अतिक्रमी सुरेश कुमार के विरूद्ध कार्यवाही नही करते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है, उक्त अवैध आज्ञा नायब तहसीलदार सूरजगढ़ दिनांक 09.08.2019 को यथावत कायम रखने में जिला कलक्टर झुन्झुनू ने आज्ञा जैर अपील दिनांक 02.12.2019 पारित करने में भी गंभीर कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा जिला कलक्टर झुन्झुनु दिनांक 02.12.2019 एवं नायब तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को उनके आदेश दिनांक 15.07.2019 की पालन किये जाने बाबत विवादित भूमि खसरा नम्बर 229 व 261 आदि की सीमा कायम करते हुये सीमांकन व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेतिप्रेषित फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा ग्राम तोलासेही, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू स्थित भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.76 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता तोलासेही से ग्राम किडवाना जाने वाले रास्ते को खसरा नम्बर 229 के खातेदार जगवीर पुत्र बीरबल द्वारा मकान व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.06.2019 के अनुसार प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनिमय के तहत दर्ज कर गैर सायलान जगवीर पुत्र बीरबल को जरिये नोटिस तलब किया गया, दौराने अनुसंधान जगवीर पुत्र बीरबल को अतिक्रमी मानते हुए गैर मुमकिन रास्ते से बेदखल करने हेतु आदेश दिनांक 09.08.2019 को पारित किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ग्राम तोलासेही स्थिति खसरा नम्बर 259 रकबा 3.30 हैक्टयर का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और खसरा नम्बर 259 में काश्त हेतु आने--जाने का एकमात्र रास्त खसरा नम्बर 248 में से होकर वर्षो पुराना प्रचलित रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग खसरा नम्बर 259 के खातेदार काश्तकार और अन्य ग्रामवासी करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में भी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 259 के खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता होने का उल्लेख किया है तथा स्वयं अपीलार्थी ने भी अपनी अपील के पैरा संख्या 7 में इस हेतु कथन अंकित कर अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अंकित किया है। उन्होने यह भी कथन किया है न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.12.2019 के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त स्थगन आदेश की आड़ में अपीलाधीन चालू रास्ते को बन्द किया गया है जिसे खुलवाने के आदेश पारित फरमाये जावें एवं अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

P.T.O.

रजस्व आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील के पैरा संख्या 5 में अंकित किया है कि कोई भी व्यक्ति रास्ते की भूमि पर आवास हेतु मकानों का निमार्ण नही कर सकता है साथ ही पैरा संख्या 6 में यह भी अंकित किय है कि खसरा नम्बर 229 व 261 के मध्य रास्ते की भूमि पर सुरेश कुमार पुत्र हरिराम ने कब्जा कर रखा है। पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2019 की छाया के अनुसार पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 248 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना अंकित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की ओर बिना ध्यान दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2019 पारित किया गया है जिससे प्रकरण के वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण नायब तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2019 एवं नायब तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें एवं खसरा नम्बर 248 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो तो उसे तुरन्त हटवाया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू करवाया जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर